सप्तम माला, खंड 44, अंक 1 गुरुवार, 23 फरवरी, 1984/4 फाल्गुन, 1905 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

7th Lok Sabha

(चौदहवां सत्र)

(खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

विषय-सूची

(सप्तम माला, खंड 44, अंक 1, चौदहवां सत्र, 1984/1905 (शक)

गुरुवार, 23 फरवरी, 1984/4 फाल्गुन, 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1-2
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभापटल पर रखा गया	2-8
निधन सम्बन्धी उल्लेख	8-13
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	14-22
सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र	22-23

लोक-सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची
सप्तम लोक-सभा

अ

अंकिनीडू, श्री एम० (मछलीपटनम)
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी० (बापतला)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अजीत प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अनवार अहमद, श्री (हापुड़)
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद (बिलासपुर)
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अब्दुल समद, श्री (वैल्लोर)
अब्बासी, श्री काज़ी जलील (डुमरियागंज)
अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)
अराकल, श्री जेवियर (एर्णाकुलम)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अर्जुनन, श्री के० (धर्मपुरी)
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस (नरसापुर)
अशफाक हुसैन, श्री (महाराजगंज)
अहमद, बेगम आबिदा (बरेली)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (वारंगल)
अहमद, श्री गुलशेर (सतना)
अहमद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)
अहिरवार, श्री रामप्रसाद (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बंकुरा)
आज़मी, डा० ए० यू० (जौनपुर)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश, स्वामी (रोहतक)

इन्द्राकुमारी, श्रीमती (अलीगढ़)
इम्बीचीबावा, श्री ई० के० (कालीकट)

ई

ईरा अनबारासु, श्री (चिंगलपट्टु)
ईरा मोहन, श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बड़ागरा)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडगा)

ए

एक्का, श्री क्रिस्टोफर (सुन्दरगढ़)
एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार मालदेवजी (पोरबंदर)

क

कंडास्वामी, श्री एम० (त्रिरुचेंगोडे)
कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
करुणानिधि, श्री थाझाई एम० (नागापट्टिनम)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कश्यप, श्री जयपालसिंह (आंवला)
काज़ी सलीम, श्री (औरंगाबाद)
कादरी, श्री एस० टी० (शिमोगा)
काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)
काहनडोल, श्री जेड० एम० (मालेगांव)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
कुंवर, श्री राम (नवादा)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुन्हम्बु, श्री के० (कन्नानौर)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुलनदईवेलु, डा० वी० (चिदम्बरम)
कृष्ण, श्री एस० एम० (माण्डया)

कृष्ण प्रतापसिंह, (महाराजगंज)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
केन, श्री लालाराम (बयाना)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कैलाशपति, श्रीमती (मोहनलालगंज)
कोचक, श्री गुलामरसूल (अनन्तनाग)
कोडियन, श्री पी० के० (अड्डूर)
कोसलराम, श्री के० टी० (त्रिरुचेंडूर)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
क्षीर सागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)

ख

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)
खां, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मलिक एम० एम० ए० (एटा)
खारलुखी, श्री बाजूबन आर० (शिलांग)

ग

गंगवार, श्री हरीशकुमार (पीलीभीत)
गधावी, श्री भेरावदन के० (बनासकांठा)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (मेडक)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री० वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री आर० पी० (बड़ौदा)
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गायत्री देवी, श्रीमती (कैराना)
गावित, श्री मानिकराव होडल्य (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टई)
गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
गुफरान आजम, श्री (बेतूल)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोजागिन, श्री० एन० (वाह्य मणिपुर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गौंडर, श्री ए० सेनापति (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते (चिकमंगलूर)

घ

घोरपाड़े, श्री आर० वाई० (वेल्लारी)
घोष, श्री नीरेन (दमदम)
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)

च

चक्रधारी सिंह, श्री (सरगुजा)
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन (कलकत्ता दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (दावनगेरे)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री एस० बी० (नांदेड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोड़ा भाई (आनन्द)
चिंगवांग कोनयक, श्री (नागालैण्ड)
चिन्नास्वामी, श्री सी० (गोबिचेट्टिपलयम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश (अमरावती)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)
चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव (एलुरु)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बरहामपुर)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर० (मेहसाना)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कठुवा)

चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)
चौहान, श्री फतहभान सिंह (धार)

छ

छांगुर राम, श्री (लालगंज)

ज

जक्कायन, श्री एस० टी० के० (पेरियाकुलम)
जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी (जामनगर)
जमीलुर्रहमान, श्री (किशनगंज)
जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)
जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर पश्चिम)
जेना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)
जैन, श्री निहालसिंह (आगरा)
जैन, श्री भीकूराम (चांदनी चौक)
जैन, श्री वृद्धिचन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झारखण्डेराय, श्री (घोसी)

ट

टण्डन, श्री प्रभुनारायण (दमोह)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टुडु, श्री मनमोहन (मयूरभंज)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

त

तपेश्वर सिंह, श्री (बिक्रमगंज)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश (इलाहाबाद)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री रामगोपाल (जंजगीर)
तुर, श्री लहना सिंह (तरनतारन)
तेइयेंग, श्री सोबेंग (अरुणाचल पूर्व)
तैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)
त्रिपाठी, श्री कमलापति (वाराणसी)
त्रिपाठी, श्री राम नारायण (बिल्हौर)
त्रिलोक चन्द्र, श्री (खुर्जा)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पण्ढरपुर)

द

दण्डपाणि, श्री सी० टी० (पोल्लाची)
दण्डवते, श्रीमती प्रमिला, (बम्बई उत्तर-मध्य)
दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दत्त, श्री अमल (डायण्ड हार्बर)
दलवीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दुबे, श्री बिन्देश्वरी (गिरिडीह)
दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देसाई, बी० वी० (रायचूर)

ध

धोते, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आन्तरिक मणिपुर)
नगीना राय, श्री (गोपालगंज)
नन्दी येल्लैया, श्री (सिद्दीपेट)
नागरत्नम, श्री टी० (श्री पेरंबदूर)
नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम)
नामग्याल श्री पी० (लद्दाख)
नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर)
नायर, श्री बी० के० (क्विलोन)
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)
निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)
निहालसिंहवाला, श्री जी० एस० (संगरूर)
नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
नूरुल इस्लाम, श्री (धुबरी)
नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा० वसन्त कुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पटेल, श्री अमृत (गांधीनगर)
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ौच)
पटेल, श्री उत्तमभाई एच० (बलसार)
पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)
पटेल, श्री मोहनलाल (जूनागढ़)
पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी० (राजामुंद्री)

पत्तु स्वामी, श्री डी० (वन्डावाशी)
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिण्डीवनम)
पनिका, श्री रामप्यारे (राबर्ट्सगंज)
परमार, श्री हीरालाल आर० (पाटन)
परांजपे, श्री बाबूराव (जबलपुर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
परुलेकर, श्री बापूसाहिब (रत्नगिरि)
पलानीअप्पन, श्री सी० (सलेम)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)
पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री ए० टी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे (अहमदनगर)
पाटिल, श्री जगन्नाथ शिबराम (ठाणे)
पाटिल, श्री बालासाहिबविखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)
पाटिल, श्री वीरेन्द्र (बागलकोट)
पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)
पाटिल श्रीमती शालिनी (सांगली)
पाटिल, श्री शिवराज बी० (लातूर)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पाल, प्रो० रूप चन्द (हुगली)
पासवान, श्री रामविलास (हाजीपुर)
पुजारी, श्री जनार्दन (भंगलौर)
पुलय्या, श्री दारूर (अनन्तपुर)
पेंचालैया, श्री पसाला (तिरुपति)
पेंचालैया, श्री पुचालापल्लि (नेल्लौर)
पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० (चिकबल्लापुर)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नांडीस, श्री ओस्कर (उदीपी)

फर्नांडीस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फुलवारिया, श्री विरदा राम (जालौर)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंसीलाल, श्री (भिवानी)
बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बनारसीदास, श्री (बुलंदशहर)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बरोट, श्री मगनभाई (अहमदाबाद)
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (गढ़वाल)
बहेरा, श्री रासबिहारी (कालाहांडी)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाग, श्री अजित (सिरमपुर)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बागुन, श्री सुम्बरूई (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्रकुमारी (सीतापुर)
बालन, श्री ए० के० (ओट्टापालम)
बालानन्दन, श्री ई० (मुकुन्दपुरम)
बालेश्वर राम, श्री (रोसेड़ा)
बिष्णु प्रसाद, श्री (कलियाबोर)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, श्री राव (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बृजेन्द्र पाल सिंह, (सम्भल)
बेरवा, श्री बनवारीलाल (टोंक)
बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित—आंगल-भारतीय)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव (श्री काकुलम)
ब्रार, श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर (फरीदकोट)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (सीतामढ़ी)
भगवान देव, आचार्य (अजमेर)
भट्टाचार्य, श्री सुशील (बर्दवान)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)

भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा)
भीमसिंह, श्री (झुन्झुनू)
भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्लि)
भूयन, श्री भुवनेश्वर (गौहाटी)
भूरिया, श्री दलीपसिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)
भोये, श्री रेशमा मोती राम (धुले)
भोले श्री आर० आर० (बम्बई दक्षिण-मध्य)

म

मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)
मणि, श्री के० बी० एस० (पेरम्बलूर)
मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मण्डल, श्री धनिक लाल (झंझारपुर)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु (नगरकुरनूल)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाटा, श्री चित (पुरूलिया)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाला, श्री आर० पी० (दादर तथा नगर हवेली)
महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहांनाबाद)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)
मायातेवर, श्री के० (डिन्डिगल)
मार्तण्डसिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)
मावणि, श्रीरामजी भाई (राजकोट)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री उमाकांत (मिर्जापुर)
मिश्र, श्री गार्गी शंकर (सिवनी)
मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)
मिश्र, श्री रामनगीना (सलेमपुर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिश्र, श्री हरिनाथ (दरभंगा)

मीणा, श्री रामकुमार (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराइच)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुथुकुमारन, श्री आर० (कुड्डालोर)
मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)
मुन्नीलाल, श्री (हरदोई)
मुरुगैयन, श्री एस० (तिरुपत्तूर)
मुल्तानसिंह, चौधरी (जलेसर)
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर (मैसूर)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री कुसुमकृष्ण (अमालापुरम)
मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, डा० महीपत राय एम० (कच्छ)
मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदक, श्री विजय (आरामबाग)
मोरे, श्री रामकृष्ण (खेड़)
मोहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मोहिते, श्री यशवन्त राव (कराड़)

य

याजदानी, डा० गोलम (रायगंज)
यादव, श्री आर० एन० (परभणी)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री राम सिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खारगोन)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुन्टूर)
रणजीत सिंह, श्री (चतरा)
रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)

रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रहीम, श्री ए० ए० (चिरयिन्कल)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)
राजदा, श्री रतनसिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (बोबिली)
राकेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
राठवा, श्री अभरसिंह (छोटा उदयपुर)
राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)
राणे, श्रीमती संयोगिता (पणजी)
राम श्री रामस्वरूप (गया)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम किंकर, श्री (बाराबंकी)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई (मयूरम)
रामलु, श्री एच० जी० (कोप्पल)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री एम० रामन्ना (कासरगोड)
राय, श्री रामायण (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय प्रधान, श्री अमर (कूंच बिहार)
राव, डा० एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम० नागेश्वर (तेनालि)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगांव कोन्डाला (खम्मम)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (हनमकोंडा)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
रावणी, श्री नवीन (अमरेली)
रावत, श्री हरीश (अलमोड़ा)
राही, श्री रामलाल (मिसरिख)
रिज़क राम, श्री (सोनीपत)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० ओबुल (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री टी० दामोदर (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दुपुर)
रेड्डी, श्री पी० वेंकट (ओंगोल)
रोथुआमा, डा० आर० (मिजोरम)
रौत, श्री जय नारायण (सलूम्बर)

ल

लकम्पा, श्री के० (टुमकुर)
लक्ष्मणन्, श्री जी० (मद्रास उत्तर)
लारेंस, श्री एम० एम० (इडुक्की)
लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)

व

वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री जयराम (फैजाबाद)
वर्मा, श्री दीनबन्धु (उदयपुर)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिवशरण (मछलीशहर)
वाघ, डा० प्रताप (नासिक)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटसुब्बय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेलू, श्री ए० एम० (अर्कोनम)
वैराले, श्री मधुसूदन (अकोला)
व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकौड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शनमुगम, श्री पी० (पांडिचेरी)

शमन्ना, श्री टी० आर० (बंगलौर दक्षिण)
शर्मा, श्री कालीचरण (भिण्ड)
शर्मा, श्री चिरन्जीलाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (झांसी)
शर्मा, डा० शंकरदयाल (भोपाल)
शाक्य, श्री दयाराम (फर्रुखाबाद)
शाक्य, श्री रामसिंह (इटावा)
शाक्यवार, श्री नाथूराम (जालौन)
शास्त्री, श्री धर्मदास (करौलबाग)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शिगंडा, श्री डी० बी (दहानू)
शिव शंकर, श्री पी० (सिकन्दराबाद)
शिवप्रकाशम्, श्री डी० एस० ए० (तिरुनेलवेली)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)
शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

ष

षाङंगी, श्री आर० पी० (जमशेदपुर)

स

संखवार, श्री आशकरन (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सज्जनकुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सतियेन्द्रन, श्री एम० एम० के० (रामनाथपुरम)
सतीश प्रसाद सिंह, श्री (खगरिया)
सत्यदेव सिंह, प्रो० (छपरा)
समीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसन्त (वर्धा)
सारण, श्री दौलतराम (चुरू)
सावंत, श्री टी० एम० (उस्मानाबाद)

साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहू, श्री नारायण (देवगढ़)
साहू, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सिंगारावाडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंधिया, माधवराव (गुना)
सिंह, श्री सी० पी० एन० (पदरौना)
सिंह, श्री धर्मगज (शाहबाद)
सिंह, श्री पीताम्बर (बेतिया)
सिंह, श्री बी० डी० (फूलपुर)
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री निर्मल (मथुरापुर)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सुखबन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुन्दर सिंह, श्री (फिल्लौर)
सुब्बा, श्री पी० एम० (सिक्किम)
सुब्बुरमण, श्री ए० जी० (मदुरै)
सुल्तानपुरी, श्रीकृष्ण दत्त (शिमला)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण सिंह, श्री (बलिया)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह राव (बीदर)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी० सी० (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री सुबोध (जलपाईगुड़ी)
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई (करूर)
सेलवाराजू, श्री एन० (तिरुचिरापल्ली)
सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामुला)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)

सोरन, श्री शिबू (दुमका)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री नटवरसिंह (कापड़वज)
सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालन्धर)
स्वामी, श्री के० ए० (विशाखापत्तनम)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर-पूर्व)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (शिवगंगा)
स्वामीनाथन, श्री वी० एन० (पुद्दकोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलबेरिया)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हाकम सिंह, श्री (भटिंडा)
हाल्दर, श्रीकृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)
होरो, श्री एन० ई० (खूंटी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री जी० लक्ष्मणन्

सभापति तालिका

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री एन० के० शेजवलकर

श्री एफ० एच० मोहसिन

श्री आर० एस० स्पैरो

महासचिव

डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मन्त्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मन्त्री (सभी मन्त्रालय/विभाग जो नीचे उल्लिखित नहीं हैं)	श्रीमती इन्दिरा गांधी
वित्त मन्त्री	श्री प्रणब मुखर्जी
विदेश मन्त्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
गृह मन्त्री	श्री प्रकाश चन्द्र सेठी
ऊर्जा मन्त्री	श्री पी० शिव शंकर
रक्षा मन्त्री	श्री आर० वेंकटरामन
रेल मन्त्री	श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी
योजना मन्त्री	श्री एस० बी० चव्हाण
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री	श्री जगन्नाथ कौशल
श्रम और पुनर्वास मन्त्री	श्री वीरेन्द्र पाटिल
नौवहन और परिवहन मन्त्री	श्री के० विजय भास्कर रेड्डी
रसायन और उर्वरक मन्त्री	श्री वसन्त साठे
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री	श्री बी० शंकरानन्द
कृषि मन्त्री	राव वीरेन्द्र सिंह
संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री	श्री बूटा सिंह
वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मन्त्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
उद्योग मन्त्री	श्री नारायण दत्त तिवारी

राज्य मन्त्री

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री भागवत झा आजाद
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री	श्री एच० के० एल० भगत

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री के० पी० सिंह देव
श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री धर्मवीर
संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री वी० एन० गाडगिल
शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्रीमती शीला कौल
ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री आरिफ मोहम्मद खां
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री खुर्शीद आलम खां
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री एस० एम० कृष्ण
वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री	श्री निहार रंजन लास्कर
कृषि मन्त्रालय में राज्य मंन्त्री	श्री योगेन्द्र मकवाना
सिंचाई मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री राम निवास मिर्धा
ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री	श्री गार्गी शंकर मिश्र
ग्रामीण विकास मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री हरिनाथ मिश्र
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री ए० ए० रहीम
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री	श्री कल्पनाथ राय
उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री पट्टाभि राम राव
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री रामचन्द्र रथ
इस्पात और खान मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री एन० के० पी० साल्वे
रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री सी० के० जाफर शरीफ
ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री	श्री दलबीर सिंह
गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा
गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री पी० वेंकटसुब्बय्या

उप-मन्त्री

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री	श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री गुलाम नबी आजाद
खेल विभाग में उप-मन्त्री	श्री अशोक गहलौत
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी
खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय विभाग में उप-मन्त्री	श्री मल्लिकार्जुन
संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री विजय एन० पाटिल
वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री जनार्दन पुजारी
इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री	डा० एम० एस० संजीव राव
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री पी० ए० संगमा
पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री	श्री दिग्विजय सिंह
शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री	श्री पी० के० थुंगन

लोक सभा

गुरुवार, 23 फरवरी, 1984 / 4 फाल्गुन, 1905 (शक)

लोक सभा 12 बजकर 35 मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री रिज़क राम (सोनीपत)

श्री बनारसी दास (बुलन्दशहर)

श्री पीताम्बर सिंह (बेतिया)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि शोक संवेदना प्रस्ताव तत्काल इसके बाद ले लिया जाए और राष्ट्रपति का अभिभाषण बाद में रखा जाए। यह अभिभाषण बहुत विवाद का विषय बन गया है क्योंकि पंजाब के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह नितान्त अपर्याप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : कल के बाद डिस्कशन है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वैसे भी शोक प्रकटीकरण पहले होता है और बाकी की कार्यवाही बाद में होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : रूल्स में लिखा हुआ हैं, इसलिए करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हम लोगों का आपसे आग्रह है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारा हाऊस कहे तो कर सकते हैं। रूल्स आपने बनाए हैं। मैंने नहीं बनाये हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पंजाब में क्या हो रहा है ? पंजाब पर शोक क्यों नहीं कर लेते हैं।...(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, कायदे-कानून काम को चलाने के लिए होते हैं।

आप शोक प्रस्ताव के बाद ले सकते हैं।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सारा हाऊस कहे तो मान सकते हैं। नियमानुसार दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दूसरे स्थान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान होता है तथा तीसरे स्थान पर निधन सम्बन्धी उल्लेख होता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कार्य-सूची के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जब निधन सम्बन्धी उल्लेख किया जाये तब हमें पंजाब तथा हरियाणा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। इस सम्बन्ध में भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आज के बाद पंजाब में लोग फिर मारे गए तो क्या कल फिर शोक प्रस्ताव होगा? प्रधान मंत्री सदन में खड़े होकर कहें कि किसी की वहां हत्या नहीं होने दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री कब चाहती हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शोक प्रकटीकरण के कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा जो पंजाब और हरियाणा में हो रहा है?

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव : महोदय, मैं आज एक साथ समवेत हुए संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गये अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण, मुझे वर्ष 1984 में संसद् के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उसको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

2. चालू वर्ष में हमारी अर्थ-व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है, जिससे व्यापक रूप से वर्षा न होने के कारण हुई हानि को पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष कृषि उत्पादन में 9 प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जबकि पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की कमी हुई थी। अनाज का उत्पादन 1420 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से अधिक हो जाने की आशा है, जबकि 1982-83 में वास्तविक उत्पादन 1284 लाख मीट्रिक टन था और इससे पहले सबसे अधिक उत्पादन का रिकार्ड 1333 लाख मीट्रिक टन रहा था। कृषि उत्पादन में ये सफलताएं वर्षों से अपनाई गई हमारी ठोस नीतियों और कार्यक्रमों का ही परिणाम है। 1982-83 में सिंचाई क्षमता में 23.4 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई थी। अब 1983-84 में इसमें 23.7 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होने की सम्भावना है। सिंचाई में जो क्षमता हासिल की गई है उसके उपयोग में सुधार लाने के लिए खासतौर से कोशिशें की जा रही हैं। अधिक पैदावार देने वाली फसलों की किस्मों के कार्यक्रमों में विस्तार किया जाता रहा है और यह उम्मीद है कि 1983-84 में 520 लाख हेक्टेयर भूमि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगी। 1983-84 के दौरान उर्वरक की खपत योजना लक्ष्य से काफी अधिक हो जाएगी।

3. सूखी भूमि पर खेती की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है और नई टेक्नॉलोजी को अपनाने के लिए 4246 लघु-जल विभाजकों का पता लगाया गया है। इससे ग़रीब से ग़रीब ग्रामीण समुदायों

को सहायता मिलेगी। 1983-84 में छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए केन्द्रीय रूप में चलाई गई एक योजना शुरू की गई थी।

4. औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था को फिर से ठीक करने और बुनियादी ढांचे में सुधार का काम पूरी गति से चलता रहा। कोयले के उत्पादन में सितम्बर के बाद लगातार सुधार हुआ है और 1983-84 के दौरान इसका उत्पादन 1400 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंच जाएगा। 1983-84 के पहले 9 महीनों के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वर्ष से लगभग 5 प्रतिशत बढ़ गया है। खनिज तेल का उत्पादन जो 1980-81 में 105 लाख मीट्रिक टन था और 1982-83 में 210.6 लाख मीट्रिक टन हो गया था, अब 1983-84 में बढ़कर उसके 260 लाख मीट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है। रेल द्वारा माल की ढुलाई को पिछले वर्ष से ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के लिए विशेष कोशिशें की गई हैं। बन्दरगाहों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और 1983-84 में मुख्य बन्दरगाहों पर जो कुल यातायात होने की सम्भावना है, उम्मीद है कि वह दस सौ दस लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा, यह अब तक का सबसे अधिक यातायात होगा।

5. औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति जो वर्ष के पहले छह महीनों में धीमी रही थी, उसमें वर्ष के आखिरी छह महीनों में सुधार हुआ है और 1983-84 में कुल औद्योगिक विकास दर के 4.5 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है। औद्योगिक निर्माण क्षेत्र में अच्छा उत्पादन रहा है। सूती कपड़ा, इंजीनियरी और सीमेंट उद्योगों में भारी सुधार हुआ है।

6. देश के विभिन्न भागों में मुख्तलिफ दबावों के बावजूद वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति भी सन्तोषजनक बनी रही। आर्थिक विकास में गति को बनाए रखने के सरकार के अनुरोध का आम कामगारों पर अच्छा असर पड़ा है, जिसका पता उत्पादन में हुई वृद्धि से चल जाता है।

7. इस वर्ष कुल राष्ट्रीय उत्पादन की विकास दर लगभग 6 से 7 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है, जबकि 1982-83 में यह दर केवल 1.8 प्रतिशत थी। छठी योजना की पहले चार वर्षों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की औसत विकास दर 5.4 प्रतिशत हो जाएगी। इस उपलब्धि पर देश जायज तौर पर गर्व कर सकता है।

8. कीमतों की स्थिति हमारे लिए चिन्ता का कारण रही है। 7 जनवरी, 1984 को मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 10.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के दबाव का अधिक कारण, सूखे की बजह से 1982-83 में कृषि उत्पादन में कमी, रहा था। इन दबावों का मुकाबला करने और मुद्रा के फैलाव को कम करने के लिए अनेक उपाए किए गए हैं, जिनमें खाद्यान्नों, तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विस्तार और उसे मजबूत बनाया जाना, अनाज की वसूली का जोरदार अभियान, आयात के जरिए समय पर घरेलू पूर्तियों का सीमान्त विस्तार, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और मुद्रा प्रणाली में अधिक नकदी को घटाने के उद्देश्य से राजकोष और मुद्रा पर अंकुश लगाना शामिल है। 1983-84 की रिकार्ड फसल और बुनियादी ढांचे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार सुधार से आने वाले महीनों में मुद्रा के फैलाव की दर को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार ने खर्च को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही उत्पादन और उसकी कुशलता तथा क्षमता के पूरे उपयोग की प्रेरणा को भी बनाए रखा है।

9. हमारे विदेशी भुगतान की स्थिति में सुधार हुआ है। व्यापार-अन्तराल लगातार दूसरे वर्ष में घट जाने की सम्भावना है। अप्रैल-अक्तूबर 1983 के दौरान (तेल को छोड़कर) निर्यात में 1982-83 की इसी अवधि की तुलना में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयातों का मूल्य (तेल निर्यात के अलावा) 2.5 प्रतिशत गिर गया। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमताओं के निर्माण और आयात की अधिक मात्रा को कम करने की नीति से लाभ हुआ है। एक दूसरी उत्साह-जनक बात यह है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों से धन की प्राप्ति में काफी सुधार हुआ है।

10. चूंकि हमारी सुरक्षित विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है, इसलिए सरकार ने स्वेच्छा से ही यह निर्णय किया है कि वह चालू वर्ष के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साथ एक्स्टेंडेड फंड फेसेलिटी के अधीन कोई और अधिक धन नहीं लेगी। कुल 5 बिलियन एस० डी० आर० में से हम केवल 3.9 बिलियन का ही उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार 1.1 बिलियन एस० डी० आर० का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दूसरे विकासशील देशों की सहायता के लिए उपलब्ध हो गया है। हमारे देश के लोग विदेशी ताल-मेल की हमारी नीतियों की कामयाबी पर गर्व कर सकते हैं।

11. 20-सूत्री कार्यक्रम को, जिसमें निर्धनता को दूर करने के उपायों पर जोर दिया गया है, जोरदार ढंग से लागू किए जाने से गांव के निर्धन लोगों की दशा में सुधार हो रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 90 लाख ग्रामीण परिवारों को जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के 32 लाख परिवार भी शामिल हैं, छठी योजना के पहले तीन वर्षों में सहायता दी गई है। पहले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर 2253 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष में और भी 30 लाख परिवारों की सहायता की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन और अधिक रोजगार पैदा करने के लक्ष्यों को, योजना के पहले तीन वर्षों में पूरी तरह हासिल कर लिया गया और चालू वर्ष में भी इस दिशा में प्रगति संतोषजनक है। 15 अगस्त, 1983 को एक नया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तालीम याफ्ता बेरोजगारों को अपना रोजगार खुद चुनने के नए कार्यक्रम को भी भारी सफलता मिली है। 1983-84 के लिए 2.5 लाख शिक्षित व्यक्तियों की सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

12. माननीय संसद् सदस्यगण 1983-84 में भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों से वाकिफ हैं। 17 अप्रैल 1983 को रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया गया था। इनसेट-1 बी को 30 अगस्त, 1983 को सफलता के साथ छोड़ा गया था, जो 15 अक्तूबर, 1983 से हमारे दूर-संचार, दूरदर्शन, रेडियो और मौसम विज्ञान कार्यक्रमों में सहायता दे रहा है। दूरदर्शन सेवाओं में भारी विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे कि इसकी सेवाओं के अन्तर्गत 1983-84 में 23 प्रतिशत जनसंख्या से बढ़कर 1984-85 तक 70 प्रतिशत जनसंख्या आ सके। भारत ने दक्षिणी ध्रुव संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और वह इस प्रकार इसका 12वां सलाहकार सदस्य राज्य बन गया है। अब तक दक्षिणी ध्रुव के तीन अभियान आयोजित किए गए हैं और वहां एक नियमित स्टेशन भी स्थापित किया जा चुका है। सबसे पहली बार दो महिला वैज्ञानिक उस महाद्वीप में गई हैं। हमने केन्द्रीय हिन्द महासागर में बहु धातु पिंड के व्यापक सर्वेक्षण हेतु एक मार्ग दर्शक क्षेत्र के लिए अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के पास रजिस्टर्ड करा लिया है। मद्रास परमाणु बिजली केन्द्र की पहली इकाई, 2 जुलाई, 1983 को बनकर तैयार हो गई, इसका ढांचा और डिजाइन स्वदेश में ही तैयार किया गया था। यह अब 200 मेगावाट तक बिजली तैयार कर रही है।

13. संसद् ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्वास्थ्य की देख-रेख के निरोधात्मक, प्रेरक और पुनर्वास सम्बन्धी पहलुओं पर जोर दिया गया है। इस नीति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें समाज को शामिल किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए दूर-दराज़ के देहाती इलाकों के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तपेदिक, कुष्ठ रोग और अन्धेपन पर नियंत्रण पाने के लिए भारी उपाए किए जा रहे हैं। परिवार नियोजन में भारत की कोशिशों को उस समय अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल हुई, जब हमारी प्रधान मन्त्री को न्यूयार्क में 30 सितम्बर, 1983 को हुए एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। गर्भधारण के प्रति 25.9 प्रतिशत दम्पत्तियों को सुरक्षित किया गया है और यह प्रतिशत अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। परिवार नियोजन की मुख्तलिफ विधियों को अपनाने वालों की संख्या अप्रैल-दिसम्बर, 1983 में पिछले वर्ष की इसी अवधि से 15 प्रतिशत बढ़ गई है।

14. शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा को जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, सब तक पहुंचाने और 1990 तक प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को खत्म करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहा। रेडियो और टेलीविजन की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा के एक ज़बरदस्त कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यह कोशिश रही है कि विश्वविद्यालयों और उच्च टेक्नॉलोजी की संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए गठित दो आयोगों का कार्य प्रगति पर है।

15. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कला परिषद् की स्थापना की गई है, जो देश के सांस्कृतिक विकास और देश की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए मुख्तलिफ क्षेत्रों में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों में सुधार लाने के लिए नीतियां तैयार करेगी। हमारे पुस्तक उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् की भी स्थापना की गई है।

16. देश एकता और अखण्डता के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए दृढ़ इरादे और सद्भावना के वातावरण में ही लगातार तरक्की कर सकता है। साम्प्रादायिक और पृथकतावादी तत्वों की विघटनकारी गतिविधियों, हिंसात्मक आन्दोलनों और अनेक क्षेत्रों में हुई राष्ट्र की उपलब्धियों को मिट्टी में मिलाने की योजनाबद्ध कोशिशों से जो नुकसान पहुंचा है, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ये प्रवृत्तियां राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर कर रही हैं। कुछ अन्दरूनी और बाहरी ताकतें भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को कमज़ोर करने के काम में लगी हुई हैं।

17. आज की जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सतर्कता पर ज्यादा ध्यान दें। हरएक देश-भक्त नागरिक को चाहिए कि वह ऐसी ताकतों को कुचलने में सरकार के साथ सहयोग करे जो जाति, नस्ल, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करती हैं। हाल ही में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा के मतभेद को भुलाकर एक मत से यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रीय एकता के ढांचे को मज़बूत किया जाए और भारतीयता की भावना को बढ़ावा दिया जाए। यह निर्णय बहुत ही उत्साह-

जनक था। आन्दोलनों के समर्थन में हिंसा का सहारा लेने और धार्मिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों को शरण देने के विरुद्ध लगभग सभी पार्टियों में सहमति है। अपराधियों द्वारा पूजा स्थलों का इस्तेमाल किए जाने से धर्म के नाम पर धब्बा तो लगता ही है साथ ही उनकी पवित्रता भी नष्ट होती है और राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बढ़ते हुए इस अहसास को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में तबदील करें जिससे कि देश में विभिन्न दलों और मुख्तलिफ वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय एकता के एक मज़बूत सूत्र में बांधा जा सके।

18. आसाम में राज्य सरकार ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारी प्रयास किए हैं। इन कोशिशों को जनता का व्यापक समर्थन मिला है, जिसने यह महसूस किया है कि हिंसा से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक गड़बड़ी ही फैलती है। अधिकरणों ने विदेशियों के मसले पर एक संकल्प तैयार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अवैध रूप से देश में दाखिल होने वालों पर निगरानी रखने के लिए भी कड़े उपाय किए गए हैं। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्यगण समझौते और मेल-मिलाप की प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

19. पंजाब में मासूम लोगों के खिलाफ दर्दनाक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। कुछ ताकतों ने सम्प्रदायों के बीच सदियों पुराने भाई-चारे के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिशें की हैं। परन्तु यह देखकर भारी सन्तोष होता है कि अधिकांश लोग चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, नफरत के दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार से गुमराह नहीं हुए हैं। यह ज़रूरी है कि उस राज्य में फिर से शांति और सामान्य स्थिति कायम की जाए। सरकार हमेशा ही इस बात की फिक्र में रही है कि पंजाब की समस्याओं को सभी सम्बन्धित पक्षों के बीच बातचीत के जरिए हल किया जाए।

20. हाल ही में, हरियाणा में साम्प्रदायिक हिंसा का फैलना एक दुखदायी घटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभावित इलाकों में जल्दी ही फिर से शांति स्थापित हो जाएगी।

21. साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों में जो तेजी हुई है, वह सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय रही है। इनसे देश की सुरक्षा और अखण्डता के लिए खतरा है। एक ऐसे आतंकवादी गिरोह द्वारा जिसका यह दावा है कि वह जम्मू व कश्मीर में पृथकतावादी आन्दोलन की नुमाइन्दगी करता है, ब्रिटेन में एक भारतीय राजनयिक की कायरतापूर्ण हत्या किए जाने से हमारे लिए इस बात की जरूरत बढ़ गई है कि हम सतर्क और चौकस रहें। ऐसी घटनाओं के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

22. हमारी राजनीतिक प्रणाली इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए काफी मज़बूत और लचकदार है। हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थिति मज़बूत है। भारत के लोगों ने बार-बार अपने इस दृढ़ निश्चय का सबूत दिया है कि हम बड़ी मुश्किलों से हासिल की गई अपनी आज़ादी और एकता की रक्षा कर सकते हैं। यह हमारा काम है कि हम उनकी इस असीम शक्ति और आदर्श का उपयोग राष्ट्र को मज़बूत बनाने के लिए करें।

23. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति शांतिजनक नहीं है। शस्त्रों की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है और शस्त्रों पर सारे विश्व में 600 बिलियन डालर वार्षिक से ज्यादा खर्च हो रहा है। नि:शस्त्रीकरण की बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इंटर-मीडियेट न्यूक्लीयर फोर्सेस को सीमित करने के सम्बन्ध में बातचीत स्थगित हो गई है। आर्थिक

असमानताओं को दूर करने की आशाएं भी इसी प्रकार से कमजोर पड़ गई हैं।

24. हमारे अपने क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण खराब हो गया है। हिन्द महासागर क्षेत्र का लगातार सैनिकीकरण होता जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में अति आधुनिक शस्त्रों के आ जाने से चिंता पैदा होती है। हम अपने दुर्लभ साधनों का इस्तेमाल विकास के कामों में करना पसंद करते हैं, परन्तु हम अपनी रक्षा जरूरतों के प्रति भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। हमारे चारों ओर इस प्रकार की तैयारी के बावजूद, हमने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की अपनी नीति को कायम रखा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार हमारे विरुद्ध किए जा रहे प्रचार को बंद करने के लिए दोस्ती, शांति और सहयोग के लिए हमारे प्रस्तावों और बेहतर संबंधों के लिए कदम उठाए और इस प्रकार की हमारी इच्छा का सकारात्मक रूप से उत्तर दे। श्रीलंका में जातीय हिंसा से जिसमें भारतीय नागरिक और तमिल तथा भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति भारी संख्या में हताहत हुए थे और सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ था, सारे देश को स्वाभाविक रूप से गहरी चिन्ता हुई। यह सन्तोष की बात है कि श्री लंका सरकार ने हमारी सद्भावनापूर्ण कोशिशों के प्रस्ताव को मान लिया है, जिससे कि किसी व्यावहारिक राजनीतिक समझौते में सुविधा हो। हम उम्मीद करते हैं कि सर्वदलीय सम्मेलन से कोई मुस्तकिल और सन्तोषजनक हल निकल आएगा। चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने और सीमा प्रश्न के समझौते के उद्देश्य से कोशिशें की जा रही हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ अनेक बार यात्राओं का आदान-प्रदान और आपसी विचार-विमर्श हुआ है, जिससे कि प्रमुख समस्याओं का हल निकाला जा सके और आपसी सम्बन्धों में और सुधार लाया जा सके। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का सम्मिलित कार्य शुरू किया जाना इस दिशा में एक लाभदायक कदम था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हमें भूटान नरेश का स्वागत करने का अवसर मिला था।

25. नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों का 7वां सम्मेलन 1983 की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस सम्मेलन ने फिर से इस बात की पुष्टि की है कि गुट-निरपेक्ष नीति लगातार संगतिपूर्ण और उचित है। इस आन्दोलन की अध्यक्ष होने के नाते, प्रधान मंत्री ने शांति, निःशस्त्रीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में पहले से ही अनेक प्रारम्भिक कदम उठाये हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहल यह थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयार्क में अनौपचारिक रूप से शिखर स्तर पर विचार-विमर्श किए गए। इन विचार विमर्शों का भारी स्वागत हुआ है और इन्हें आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत को उपयोगी प्रकिया में सहायक माना है। फिलिस्तानी मुक्ति संगठन के भीतर हुई घटनाओं के सम्बन्ध में मंत्री स्तर पर गुट-निरपेक्ष देशों के दल का पश्चिम एशिया में भेजा जाना भी इस दिशा में एक कदम था। सरकार फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और दक्षिणी अफ्रीका तथा नामीबिया में मुक्ति आन्दोलनों को हर मुमकिन सहायता देने के लिए सैद्धान्तिक नीति के रूप में दृढ़ता से पाबंद है। हमने नवम्बर में राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की थी। इससे औद्योगिक और विकासशील देशों के शासनाध्यक्षों को साथ-साथ मिलने का मौका मिला और शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पहल को नया समर्थन मिला।

26 सोवियत संघ और समाजवादी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग की परम्परा बढ़ती जा रही है। हमें सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ के राष्ट्रपति, श्री यूरी आन्द्रोपोव के निधन पर गहरा दुःख हुआ है। प्रधानमंत्री सोवियत जनता के दुःख में भारत की हमदर्दी प्रकट करने के लिए मास्को गई थीं। वहां सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी के नये महा-सचिव श्री

कान्स्टेंटिन चर्निनको के साथ उनकी उपयोगी बैठक हुई थी, जिसमें आपसी सम्बन्धों को मज़बूत बनाने की इच्छा को दोहराया गया।

27. प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में राष्ट्रपति रीगन के साथ उपयोगी विचार-विनिमय किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में "भारत उत्सव" मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। पश्चिम यूरोप के देशों के साथ हमारे सम्बन्ध दोनों ओर से की गई उच्च स्तर की अनेक यात्राओं से और भी मज़बूत हुए थे।

28. मैंने चेकोस्लोवाकिया, क़तर और बहरीन की राजकीय यात्राएं की थीं। प्रधानमंत्री ने युगोस्लाविया, फिन्लैंड, डैन्मार्क, नार्वे, आस्ट्रिया, साईप्रस और ग्रीस की यात्राएं की थीं। वे पैरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मिली थीं। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन के अवसर पर राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शामिल होने के अलावा, हमने अनेक प्रतिष्ठित विदेशी मेहमानों की भी मेज़बानी की थी। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय ने राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन के शुरू होने के अवसर पर भारत की राजकीय यात्रा की थी। बल्गारिया के राष्ट्रपति, जर्मनी संघीय गणराज्य के चान्सलर, मालदीवज़ गणराज्य के राष्ट्रपति और चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हमारे देश में तशरीफ़ लाने वाले दूसरे विशिष्ट मेहमान थे। इन यात्राओं से भारत और इन देशों के बीच सहयोग और दोस्ती के सम्बन्धों को मज़बूत बनाने में सहायता मिली है।

29. माननीय सदस्यगण, हमारा गणराज्य तनाव के दौर से गुज़र रहा है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कामों के लिए देश के लोक सेवकों और जनता के नुमाइन्दों की दृढ़-निष्ठा की ज़रूरत है। जितना हम राष्ट्र से लेते हैं उससे ज्यादा हमें उसे देना चाहिए। आज हमारे लिए राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति पुनः समर्पण की भावना की जरूरत है, ताकि हम सभी राष्ट्रीय एकता और विकास में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

30. मैं कामना करता हूं कि माननीय सदस्यों को अपने उन कठिन कार्यों में जो उनके सामने हैं सफलता हासिल हो।

जय हिन्द

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आज हम दो माह के अन्तराल के बाद मिले है ; मुझे बड़े दुःख के साथ सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव और सुप्रीम सोवियत की प्रेसिडियम के सभापति श्री यूरी व्लादिमिरोविच आंट्रोपोव, वर्तमान लोक सभा के सदस्य सर्वश्री जे० सी० बरवे, सी० एम० स्टीफन और डा० बी० एन० सिंह तथा लोकसभा के चार भूतपूर्व सदस्यों सर्वश्री अचल सिंह, पी० शिवशंकरन, बैजनाथ कुरील और वाई० शैज़ा के निधन की सूचना सभा को देनी है।

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केंन्द्रीय समिति के महासचिव और सुप्रीम सोवियत की प्रेसिडियम के सभापति श्री यूरी व्लादिमिरोविच आंद्रोपोव का निधन

69 वर्ष की आयु में 9 फरवरी, 1984 को हुआ।

जून, 1914 में एक रेल कर्मचारी के परिवार में जन्मे राष्ट्रपति आन्द्रोपोव ने अपने जीवन का आरम्भ एक टेलीग्राफ आपरेटर के रूप में किया था। शीघ्र ही उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता का जीवन अपना लिया और तेजी के साथ पार्टी में ऊंचे स्थान प्राप्त करते गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1976 में उन्हें "आर्मी जनरल" की उपाधि मिली। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव होने के अतिरिक्त, 1983 में वह राज्याध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा उन्हें अपने देश के नेतृत्व की अल्प अवधि में ही एक साथ दो पदों पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ।

उन्होंने अनेक उच्चतम पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें चार बार "आर्डर आफ लेनिन" की उपाधि मिली तथा उन्हें "समाजवादी श्रमिक वर्ग के वीर नायक (हीरो आफ द सोशलिस्ट लेबर) की महान उपाधि से अलंकृत किया गया।

वह एक श्रेष्ठ राजनेता थे। उन्होंने अपना जीवन विश्व शान्ति के आदर्शों तथा परमाणु अस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए समर्पित कर दिया।

देश में उन्होंने श्रमिकों में कठोर अनुशासन लाने के अथक प्रयास किए तथा व्यवहारिक रूप में श्रमिकों को प्रबन्ध में भी अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने भारी प्रयास किये।

भारत के एक गहरे मित्र के रूप में उन्होंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के कार्य को अपनी विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग को और आगे बढ़ाने में व्यक्तिगत रुचि ली।

अपने युग के इस महान राजनेता की स्मृति में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके देहान्त से सोवियत संघ ने एक कट्टर देशभक्त तथा भारत ने अपना एक सच्चा मित्र तथा समर्थक खो दिया है।

श्री जे० सी० बरवे वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और महाराष्ट्र के रामटेक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे।

इससे पहले वह 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य रहे थे तथा 1972-73 के दौरान महाराष्ट्र विधान परिषद् के सदस्य रहे थे।

वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी श्री बरवे ने 1942 में "भारत छोड़ो आंदोलन" में सक्रिय भाग लिया था और वह अनेक वर्ष कारावास में रहे।

कृषक होने के नाते श्री बरवे ने सिंचाई, कृषि तथा मत्स्य पालन उद्योगों के विकास में गहरी दिलचस्पी ली। वह अनेक सहकारी तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने मछुआरों के उत्थान के लिए कल्याणकारी उपायों में भी बहुत रुचि ली।

श्री बरवे का देहान्त 63 वर्ष की आयु में नागपुर में 16 जनवरी, 1984 को हुआ।

श्री सी० एम० स्टीफन कर्नाटक के गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले वह 1971-79 में केरल राज्य से पांचवीं तथा छठी लोक सभा के सदस्य रहे और

1960-65 के दौरान केरल विधान सभा के सदस्य रहे।

केन्द्रीय सरकार में वह संचार विभाग के मंत्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री रहे।

वह एक वाक्पटु तथा प्रभावशाली वक्ता एवं सभा के सतर्क सदस्य थे। उन्होंने सदन के कार्य तथा प्रक्रिया संबंधी मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। लोकसभा का कार्यवाही-वृत्त इस बात का प्रमाण है कि सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर हुए वाद-विवाद में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा था।

1976-77 में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति तथा 1977-78 में लोक लेखा समिति के सभापति होने के अतिरिक्त, वह कई अन्य संसदीय समितियों के भी सदस्य रहे। सभापति-तालिका में भी उनका नाम था। 1978-79 के दौरान श्री स्टीफन लोक सभा के विपक्ष के नेता रहे।

उन्होंने देश-विदेश का व्यापक रूप से भ्रमण किया था। वह संयुक्त राष्ट्र संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन तथा लन्दन के संसदीय सम्मेलन में गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे।

वह एक प्रख्यात वकील तथा प्रमुख श्रमिक संघ नेता थे। श्रमिक वर्ग के कल्याण में उनकी विशेष दिलचस्पी थी तथा वह कई श्रमिक संघों के अध्यक्ष रहे। वह राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे।

पुराने स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते श्री स्टीफन कई बार कारावास में रहे।

मलयालम की दैनिक "पौर-प्रभा" के मालिक तथा प्रबन्ध सम्पादक होने के साथ-साथ वह अन्य कई साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों से संबद्ध थे।

श्री स्टीफन का 16 जनवरी, 1984 को 65 वर्ष की आयु में अचानक उस समय देहान्त हो गया जब वह केरल राज्य में इदुक्की जिले में कट्टापाना नामक स्थान पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे।

डा० बी० एन० सिंह बिहार के हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य थे। वह क्रमशः 1962-67 और 1977-79 में तीसरी तथा छठी लोक सभा के सदस्य भी रहे।

इससे पहले 1952-62 तथा 1967-74 के दौरान वह बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। 1967-71 में राज्य सरकार में केबिनेट स्तर के मन्त्री होने के नाते डा० सिंह ने विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग संभाले।

एक सक्रिय सांसद के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी ली।

डा० सिंह एक कृषक तथा व्यापारी भी थे। उन्होंने उत्तरी छोटा नागपुर स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया जहां केबिनेट स्तर के मन्त्री का दर्जा प्राप्त था। 1948-58 के दौरान वह जिला बोर्ड, हजारी बाग के अध्यक्ष रहे।

डा० सिंह एक विख्यात समाज सेवक थे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में उन्होंने गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने देश-विदेश का व्यापक रूप से भ्रमण किया था। वह कई यूरोपियन तथा पश्चिमी एशियाई देशों को गए थे।

डॉक्टर बी० एन० सिंह का 66 वर्ष की आयु में 3 फरवरी, 1984 को बिहार में हजारीबाग

में देहान्त हुआ।

श्री अचल सिंह उत्तर प्रदेश से 1952-77 के दौरान पहली से पांचवी लोक सभा तक के सदस्य रहे।

इससे पहले वे 1924 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद और 1936-39 तथा 1946-52 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे।

वह एक योग्य सांसद थे। उन्होंने संसद की कार्यवाहियों में गहरी रुचि दिखाई। वह कई परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

श्री अचल सिंह एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी तथा विख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। वह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहे।

वह कई ग्रन्थों के लेखक भी थे।

श्री अचल सिंह का देहान्त 22 दिसम्बर, 1983 को 88 वर्ष की आयु में आगरा हुआ।

श्री पी० शिवशंकरन 1962-70 के दौरान तत्कालीन मद्रास राज्य के श्री पैरम्बडूर निर्वाचन-क्षेत्र से तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। श्री पी० शिवशंकरन ने अनुसूचित जातियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया। 1959 में मद्रास के उप-महापौर होने के अतिरिक्त वह कई सामाजिक तथा शैक्षणिक संगठनों में विभिन्न पदों से संबद्ध रहे।

श्री शिवशंकरन 71 वर्ष की आयु में 14 जनवरी, 1984 को मद्रास में परलोक सिधार गए।

श्री बैजनाथ कुरील 1952-77 के दौरान उत्तर प्रदेश से पहली से पांचवीं लोकसभा के सदस्य रहे। 1971-73 में वह केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री रहे।

श्री कुरील इस समय उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधान सभा के सदस्य थे तथा राज्य के राजस्व मंत्री भी थे।

एक योग्य सांसद के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाहियों में गहरी रुचि ली। वह 1966-68 और 1976-77 में लोक सभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे तथा 1968-70 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक कृषक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता के नाते श्री कुरील ने ग्रामीण शिक्षा, पददलितों के उत्थान और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य किया। वह कई सामाजिक, शिक्षण तथा राजनैतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे।

श्री कुरील का निधन 63 वर्ष की आयु में 26 जनवरी, 1984 को लखनऊ में हुआ।

श्री वाई० शैजा मणिपुर के बाह्य मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1977-78 में छठी लोक-सभा के सदस्य थे।

श्री शैजा वर्तमान मणिपुर विधान सभा के सदस्य थे। इससे पहले भी 1972 में तथा बाद में 1978 और 1980 में वह राज्य विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

अपने अल्प सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री शैजा राज्य के मुख्य-मन्त्री जैसे उच्च पर पर भी 1974 में और फिर 1977 में आसीन हुए। इससे पूर्व 1972 में वह राज्य के मन्त्रिमण्डल में वित्त मन्त्री थे।

श्री शैजा एक अच्छे सांसद थे और सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे।

60 वर्ष की आयु में श्री शैजा का दुःखद परिस्थितियों में इम्फाल में 30 जनवरी, 1983 को देहान्त हो गया।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी; पंजाब के बारे में भी कुछ कहें।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा पंजाब और हरियाणा में मारे गए लोगों का उल्लेख करने की अनुमति मुझे देती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह बात किस प्रकार से सभा के सामने रखूं। यह घटना बहुत चोट पहुंचाने वाली है। शोक संतप्त परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है और जिस तरीके से यह घटनायें हुई हैं उस पर हम गहरा दुःख और संताप व्यक्त करते हैं। यह बात बिना किसी तुक और कारण के की गई है और कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से नहीं करेगा। मैं आशा करता हूं कि वहां दोस्ती का नया वातावरण बनेगा और भविष्य में वहां समझदारी भाईचारे और मानव जीवन के प्रति प्यार का वातावरण बनता दिखाई देगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूं।

इन सभी मित्रों के निधन पर हम गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरे साथ-साथ अपनी संवेदना प्रकट करती है।

अपना शोक व्यक्त करने के लिए सभा कुछ क्षण मौन खड़ी रहेगी।

(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा प्रश्न उठाना चाहता हूं। पंजाब में 3 साल से जो बराबर अशांति का वातावरण और बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो रही हैं और गवर्नमेंट उन पर काबू नहीं कर पाई है, बल्कि ऐसा लगता है कि···

अध्यक्ष महोदय : कल करेंगे।

श्री चरण सिंह : गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण ही यह वातावरण पैदा हुआ है। हम लोग गवर्नमेंट की इस नाकाबलियत के प्रोटेस्ट में सदन का त्याग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने पंजाब और हरियाणा

की घटनाओं पर शोक प्रकट किया है, लेकिन उससे पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था प्रधान मन्त्री जी से कि यह हत्याओं का सिलसिला कब तक चलता रहेगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मेरा सुझाव यह है "कि आप" कागज-पत्र टेबल पर रखने के लिए मत कहिए, पंजाब और हरियाणा की घटनाओं पर आज ही चर्चा शुरू कीजिये।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इससे बढ़कर गम्भीर बात मुल्क के लिये और कोई नहीं हो सकती, अध्यक्ष जी !

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह हत्यारे कल तक रुकने वाले नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : गम्भीर बात होती है और समस्या को सुलझाने के लिए भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस तरह बात करने से कोई ऐसी बात न बन जाये जिससे समस्या और गम्भीर हो जाये, यह सोचकर मेरे से बात करिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इससे ज्यादा गम्भीर और क्या हो सकता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और भी गम्भीरता हो सकती है, सोचिये जरा।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : यह सरकार उन तमाम बातों के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार है। या तो यह जवाब दे अभी, वरना इस पर बहस अभी शुरू करवा दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप जो करना चाहते हैं, उससे कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, पहले बात कीजिये।

श्री रशीद मसूद : ठीक कैसे होगा**

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है**

श्री रशीद मसूद : सीधी-सीधी बात है·····**(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : ऐसे निराधार आरोपों का मैं विरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : क्या कहा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मन्त्री की बात सुनी नहीं जा सकी। अध्यक्ष जी, हम अपना रोष प्रकट करने के लिए सदन के बाहर जा रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की यह सरकार पूर्ण असफल है।

(इसके पश्चात् श्री चरण सिंह, श्री अटल बिहारी बाजपेयी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये।)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम, 1983

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम, 1983 जो 12 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 839 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 7628/84]

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत अध्यादेश

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 1), जो राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 1984 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7629/84]

(2) गणेश फ्लोर मिल्ज कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 2), जो राष्ट्रपति द्वारा 28 जनवरी, 1984 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7630/84]

(3) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 3), जो राष्ट्रपति द्वारा 28 जनवरी, 1984 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7631/84]

(4) इन्चेक टायर्स लिमिटेड एण्ड नेशनल रबड़ मन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 4), जो राष्ट्रपति द्वारा 14 फरवरी, 1984 को प्रख्यापति किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7632/84]

वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्यिक नौसेना में इन्जीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1983 ; मुगल लाइन्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन ; नवीन मंगलूर पत्तन न्यास, मरमुगाव पत्तन न्यास, कांडला पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास और पाराद्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे

नोवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्यक नौसेना में इन्जीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 977 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7633/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मुगल लाइन मिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7634/84]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नवीन मंगलूर पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे और तत्संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7635/84]

(दो) मरमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे और तत्संबंधी लेखपरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7636/84]

(तीन) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7637/84]

(चार) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे और तत्संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7638/84]

(पांच) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7639/84]

रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, कालीकट ; मौलाना आजाद कालेज आफ टैक्नॉलोजी, भोपाल ; रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र ; कर्नाटक रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज सूरतकल के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे और कर्नाटक रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज सूरतकल के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) रीजनल इन्जिनियरिंग कालेज, कालीकट, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7640/84]

(2) मौलाना आजाद कालेज आफ टैक्नॉलोजी, भोपाल, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7641/84]

(3) रीजनल इन्जिनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** एल० टी० 7642/84]

(4) (एक) कर्नाटक रीजनल इन्जिनियरिंग कालेज, सूरतकल, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणण)।

(दो) कर्नाटक रीजनल इन्जिनियरिंग कालेज, सूरतकल, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक रीजनल इन्जिनियरिंग कालेज, सूरतकल, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7643/84]

(5) नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7644/84]

(7) (एक) नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडामिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7645/84]

(8) अली यावर जंग नेशनल इन्स्टीच्यूट फार दि हियरिंग हेन्डिकेप्ड, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7646/84]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं—

(1) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, के वर्ष, 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7647/84]

संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 928 (अ), जो 23 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 24 दिसम्बर, 1983 के 6 महीने की अवधि के लिये और बढ़ाने के बारे में राष्ट्रपति का 23 दिसम्बर, 1983 का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 7648/84]

शीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा० का० नि० 909(अ) तथा 910(अ), जो 23 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो इन अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट औषध-द्रव्यों तथा औषध मध्यवर्ती द्रव्यों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क को बजट-पूर्व 1983-84 के स्तर पर फिर से वापस लाने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 911(अ) जो 23 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 645(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तीन) सा० का० नि० 912(अ) तथा 913(अ), जो 23 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो किसी विदेश की सरकार या विदेशी गणमान्य व्यक्ति से प्राप्त उपहार की वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय समूचे अतिरिक्त तथा उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 922(अ) तथा 923(अ), जो 27 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्कक ज्ञापन, 28 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 200 सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 दिसम्बर, 1984

तक और 13 मई, 1983 की अधिसूचना संख्या 133/83—सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 मार्च, 1984 तक बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 928(अ), जो 29 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 14 फरवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 23/83—सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि ऐथिलीन डाइक्लोराइड को उन पर उद्ग्रहणीय 20 प्रतिशत से अधिक के मूल सीमा-शुल्क की छूट दी जाये तथा रियायती सीमा-शुल्क दर की वैधता की अवधि को 30 जून, 1984 तक बढ़ाया जाये।

(छः) सा० का० नि० 929(अ) तथा 930(अ), जो 29 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 600 डेनियरों से कम के लिस्कोस फिलामेंट धागे पर मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि करके उसे मूल्यानुसार 25 प्रतिशत करने के बारे में है।

(सात) सा०का०नि० 940(अ), जो भारत के राजपत्र में 1 जनवरी, 1984 को प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 282 सी० शु० के अतिक्रमण में, कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतयीय मुद्रा में बदलने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की विनिमय दरों के बारे में है।

(आठ) सा० का० नि० 7(अ) और 8(अ), जो 3 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो बाल सचित्र पुस्तकों के लिए मुद्रित सचित्र स्टिकरों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(नौ) सा० का० नि० 10(अ), जो 5 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें 1 जनवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 1/84-सी० शु० का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दस) सा० का० नि० 29(अ) से 32(अ), जो 12 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो औद्योगिक गेजों के उत्पादों के निर्माण हेतु कोल्ड रोलिंग के लिए हाट रोल्ड स्टेनलैस स्टील कायलों को मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक हो, और उपसंगी सीमा-शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक हो, छूट देने तथा ऐसे हाट रोल्ड स्टैनलैस स्टील कायलों को सम्पूर्ण मूल उपसंगी शुल्क और अतिरिक्त शुल्क, जिनका आयात कोल्ड रोल्ड उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त पहले से आयातित कायलों के प्रतिष्ठापन के रूप में किया गया हो और जिनकी सप्लाई उन अग्रिम/पुनः पूर्ति लाइसेंसधारियों को की गई हो, जो अन्यथा ऐसे उत्पादों का शुल्क-मुक्त आयात करने के हकदार हैं, छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 38(अ), जो 17 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विनिर्दिष्ट कृमिनाशी द्रव्य, अर्थात् हैक्साक्लोरो, साइक्लोपेंटडाइन, बुटेने-2, डायोल को मूल सीमा-शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार 60 प्रतिशत से अधिक हो, छूट देने के बारे में है।

(बारह) सा० का० नि० 41(अ), 18 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1978 की अधिसूचना सं० 38—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि एसिटेट फिलामेंट धागे पर मूल सीमा शुल्क को मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत कर के छूट की सीमा को कम किया जा सके।

(तेरह) सा० का० नि० 51(अ), जो 2 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें 23 दिसम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 327/83—सी० शु० का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चौदह) सा० का० नि० 94, जो 28 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना सं० 132—सी० शुल्क में कतिपय संशोधन किया है, ताकि नेपाली मूल के आठ और खाद्य उत्पादों को भारत-नेपाल व्यापार संधि 1978 के अधीन भारत में अधिमान्यतः प्रवेश हेतु अर्ह होने के लिए सम्मिलित किया जा सके।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 934(अ), जो 30 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० 2/83—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि विद्युत-चालित दुपहिया और तिपहिया मोटर यानों के उत्पादन में प्रयोग हेतु आयातित मैग्नेट फील्ड डी० सी० मोटरों पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक सीमा शुल्क की वर्तमान छूट को 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ाया जा सके।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7649/84]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 894(अ), जो 17 दिसम्बर, 1983 के भारत, के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा तापीय विद्युत केन्द्र की प्रारम्भिक स्थापना में प्रयुक्त तापीय विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सप्लाई किए गए ताम्बे के पाइपों और ट्यूबों को शुल्क की पूर्ण छूट दी जानी है।

(दो) सा० का० नि० 895(अ), 17 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 17 दिसम्बर, 1983 की अधिसूचना सं० 292/83 के उ० शु० को निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उत्पादित माल के मामले में लागू न होने वाली बनाने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 896(अ) और 897(अ), जो 20 दिसम्बर, 1983 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो नए तथा विस्तार परियोजना वाले चीनी के कारखानों द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त हकों पर उत्पाद शुल्क की दरों में परिवर्तन करने के बारे में है।

(चार) सा० का० 915 (अ), जो 24 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा सेलुलोस एसिटेट मोल्डिंग ग्रेन्यूल पर 1 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 239/82, के० उ० शु० में विहित/मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से अधिक के उत्पाद शुल्क की सीमा तक वर्तमान छूट को 30 अप्रैल, 1984 तक जारी रखा जाना है।

(पांच) सा० का० नि० 931(अ), जो 30 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 20 जुलाई, 1979 की अधिसूचना संख्या 234/79 के० उ० शु० की वैधता की अवधि को 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ाया गया है।

(छह) सा० का० नि० 933(अ), जो 30 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 जनवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 1/83-के० उ० शु० की वैधता की अवधि को 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ाया गया।

(सात) सा० का० नि० 936(अ), 31 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 185/83-के० उ० शु० की वैधता की अवधि को 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ाया गया है।

(आठ) सा० का० नि० 938(अ), जो 31 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 5 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 184/81-के० उ० शु० में उल्लिखित जोन-3 में उत्पादित दार्जिलिंग चाय को 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से संगणित राशि से अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(नौ) सा० का० नि० 1(अ), जो 1 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो सिल्वर आक्साइड बटन सैलों को 2 वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात् 31 दिसम्बर, 1985 तक उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने के बारे में है।

(दस) सा० का० नि० 2(अ), जो 1 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, टैरिफ़ मद संख्या 6 के अन्तर्गत आने वाले कच्चे नेफथा को, जो अमोनिया के निर्माण के लिए अभिप्रेत है, उस पर उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क, की उतनी मात्रा से छूट देने के बारे में है, जो प्रति किलोमीटर 15^0 गाढ़ता पर 100 रुपये से अधिक हो।

(ग्यारह) सा० का० नि० 3(अ), जो 1 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 81/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया है ताकि निर्बाध व्यापार क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाए गए माल पर लागू 1 जनवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 2/84-के० उ० शु० में अन्तर्विष्ट रियायत को समाप्त किया जा सके।

(बारह) सा० का० नि० 50(अ), जो 2 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 177/83 के० उ० शु० की वैधता की अवधि को 28 फरवरी, 1985 तक बढ़ाया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 7650/84]

गोवा, दमन और दीव बालक (दूसरा संशोधन) नियम, 1982; केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नयी दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और इस संगठन के वार्षिक लेखाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बालक अधिनियम, 1960 की धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गोवा दमन और दीव बालक (दूसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 सितम्बर, 1982 के गोवा दमन और दीव राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 7651/84]

(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन नयी दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7652/84]

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि बिहार के बांका निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री चन्द्र शेखर सिंह से उनका दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 का एक पत्र दिनांक

28-12-1983 को लोक सभा सचिवालय में प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा में अपनी सदस्यता का त्याग किया है। मैंने उनका त्याग पत्र 29 दिसम्बर, 1983 से स्वीकार कर लिया है।

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मध्य प्रदेश के खण्डवा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित श्री शिवकुमार सिंह से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा में अपनी सदस्यता का त्याग किया है। मैंने उनका त्याग पत्र आज दिनांक 23 फरवरी, 1984 से स्वीकार कर लिया है।

———————

12.58

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 फरवरी 1984/5 फाल्गुन, 1905 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित